उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-280/2021/1225/41-2021-134(बजट)/2021

लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2021

संख्या-161/2021/776/41-2021-134(बजट)/2021, दिनांक 24 फरवरी, 2021

का शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-90/2021/94/41-2021-134(बजट)/2021 दिनांक 04 फरवरी 2021 द्वारा स्वीकृत विषयक शासनादेश के सम्बन्ध में महानिदेशक, पयर्टन के पत्र सं0-6221/मु0प0सं0यो0(40)/2020 दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी की परियोजना -बाबा बेलखरनाथ धाम के समेकित पर्यटन विकास कार्य की कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को धनराशि का भुगतान डी0सी0एल0 खाते के माध्यम से किया जाता है, जिस कारण स्वीकृत अन्य योजनाओं के साथ विधान सभा क्षेत्र-पट्टी की परियोजना से सम्बन्धित धनराशि का आहरण किया जाना सम्भव नहीं है। विधान सभा क्षेत्र-पट्टी की योजना हेतु पृथक एवं अन्य विधान सभा क्षेत्रों-रानीगंज, विश्वनाथगंज एवं सदर जिनकी कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल है, के आहरण हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया जिसके अनुक्रम में शासन के पत्रांक-162/2021/776/41-2021-134(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए एक पृथक शासनादेश संख्या-162/2021/776/41-2021-134(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी की परियोजना -बाबा बेलखरनाथ धाम के समेकित पर्यटन विकास कार्य हेतु स्वीकृत आदेश निर्गत किया गया, जिसमें महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-**5148/6-1-1(976)/2018,** दिनांक **15-01-2021** द्वारा उपलब्ध करायी गई मार्गदर्शक सूची के आधार पर कोषाधिकारी प्रतापगढ़ को आदेश की प्रति पृष्ठांकित की गई परन्तु सम्प्रति महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-**7449/मु0प0सं0यो0(40)/2021,** दिनांक **17** मार्च, **2021** द्वारा उक्त शासनादेश में पुनः संशोधन करते हुए कोषाधिकारी प्रतापगढ़ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः शासनादेश संख्या संख्या-162/2021/776/41-2021-134(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 के पृष्ठांकत के क्रम सं**0-4** पर अंकित **कोषाधिकारी प्रतापगढ़** के स्थान पर एतद्द्वारा संशोधन करत हुए **मुख्य कोषाधिगारी**, **कलेक्ट्रेट कोषागार**, **लखनऊ** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या- संख्या-162/2021/776/41-2021-134(बजट)/2021 दिनांक 24 फरवरी 2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-280/2021/1225/41-2021-134(बजट)/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
5- मुख्य कोषाधिगारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रतापगढ़।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
11- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, प्रयागराज।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in